

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम०के० सिंह  
सदरमंडल

निगरानी प्र० क० 2318-तीन/2013 विरुद्ध आदेश दिनांक 27-12-12 पारित  
कलेक्टर, जिला अशोकनगर प्रकरण क्रमांक 159/2006-07 रवि.निगरानी.

वीरसिंह पुत्र रवि तोरनसिंह यादव  
नि० ग्राम बहेरिया ढाकोनी, तह० ईसागढ़,  
जिला अशोकनगर, म०प्र० —— आवेदक  
विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन व्यारा कलेक्टर,  
जिला अशोकनगर, म०प्र० —— अनावेदक

श्री जी०पी० नायक, अभिभाषक – आवेदक  
श्री बी०एन० त्यागी, पैनल अभिभाषक – अनावेदक शासन  
आदेश

(आज दिनांक ०५, अक्टूबर, 2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू-राजस्व लौहिता 1959 (जिसे आगे  
केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत कलेक्टर, जिला अशोकनगर के  
स्वमैव निगरानी प्रकरण क्रमांक 159/2006-07 में पारित आदेश दिनांक 27-12-12  
से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक ने शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक  
4/2 रक्षा 0.523 हे. उसके खाते की भूमि से गिली होने व उस पर उसका लगभग  
10-15 वर्षों से कब्जा होने से उसके खाते में शामिल कर दिया करने का अनुरोध  
किया। नायब तहसीलदार ने प्रकरण पंजीयन द्वारा आवेदक को राजस्व  
कार्यवाही के पश्चात अपने आदेश दिनांक 08-04-93 द्वारा आवेदक को राजस्व  
पुस्तक परिपत्र 4(3) के अन्तर्गत प्रस्तावित भूमि 4/2 रक्षा 0.500 आरे का व्यवस्थापन  
कर भूमिस्वामी घोषित किया। नायब तहसीलदार के उक्त प्रकरण में कलेक्टर ने

संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत स्वगेव निगरानी में दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही के पश्चात अपने आदेश दिनांक 27-12-12 व्दारा नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त किया है। अतः आवेदक व्दारा यह निगरानी राजरव मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।


3/ मैंने अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का कब्जा 1980 के पूर्व से था। उनका तर्क है कि व्यवस्थापन के पूर्व इश्तहार का प्रकाशन किया गया तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव भी प्राप्त करना कलेक्टर ने अपने आदेश में माना है। प्रश्नाधीन भूमि आवेदक के स्वत्व की भूमि 1.881 हेक्टर से धिरी हुई है। कलेक्टर व्दारा आवेदक के कुटुम्बियों की भूमि आवेदक की भूमि मानने में त्रुटि की है। नायब तहसीलदार के आदेश को लगभग 20 वर्ष पश्चात स्वगेव निगरानी में लेकर तकनीकी आधार पर व्यवस्थापन आदेश निरस्त करना विधिसंगत नहीं है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदक शासन के अभिभाषक का तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का कब्जा 02-10-84 या उसके पूर्व से होना दरतावेजी साक्ष्य से सिद्ध नहीं है। आवेदक के पास भूमिस्वामी स्वत्व में भूमि है, इसलिये वह भूमिहीन नहीं होने से उसे भूमि व्यवस्थापन की पात्रता नहीं है। नायब तहसीलदार व्दारा व्यवस्थापन के पूर्व ना तो विधिवत इश्तहार प्रकाशित किया और ना ही ग्राम पंचायत का विधिवत प्रस्ताव प्राप्त किया गया। ऐसी दशा में व्यवस्थापन विधि विपरीत होने से उसे कलेक्टर व्दारा निरस्त करने में कोई गलती नहीं की है। अतः उन्होंने निगरानी छारिज करने का अनुरोध किया।

5/ कलेक्टर ने अपने आदेश में यह माना है कि प्रकाशन में उपलब्ध खसरा वर्ष संवत् 2047 लगायत 2049 में प्रतिनिगरानीकर्ता/आवेदक का अवैध रूप से अतिक्रमण दर्ज है। तहसील न्यायालय में आवेदक स्वयं तथा शिशुपालसिंह व नन्नूलाल के बयान लिपिबद्ध कराये गये हैं। गबाहों ने अपने बयानों में प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का कब्जा 8-10 पूर्व से होना बताया है। पटवारी हल्का ने अपने रिपोर्ट में प्रश्नाधीन भूमि

आवेदक के खाते की भूमि ३/२ तथा ४/१ख से मिली होना तथा इस पर आवेदक का कब्जा १०-१२ वर्ष पूर्व से होना प्रतिवेदित किया गया है। तहसील न्यायालय के अभिलेख में इश्तहार की प्रति एवं ग्राम पंचायत जनोदा के ठहराव की प्रति भी संलग्न है। ग्राम पंचायत के ठहराव की प्रति पर रारपंच, ग्राम पंचायत के हस्ताक्षर सील सहित है तथा अन्य व्यक्तियों (पंचो) के भी हस्ताक्षर है। नायब तहसीलदार के व्यवस्थापन आदेश दिनांक ०८-०४-९३ को कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक २७-१२-१२ अर्थात् १९ वर्ष पश्चात संहिता की धारा ५० के अन्तर्गत स्वमेव निगरानी में लेकर खारिज किया है जो अत्यधिक विलम्बित है। प्रश्नाधीन भूमि के व्यवस्थापन के पश्चात किसी भी ग्रामवासी द्वारा कोई आपत्ति या अपील सकाम न्यायालय में नहीं की गयी। जंगबहादुरसिंह वि. म०प्र०राज्य तथा एक अन्य (२००७ रा.नि. ७१) में राजस्व मण्डल के तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा ३ वर्ष पश्चात पट्टा निररती की कार्यवाही को विलम्बित होना निर्धारित किया है। ढेलाबाई तथा अन्य वि. म०प्र०राज्य (१९९६ रा.नि. २८६) में राजस्व मण्डल ने ९ वर्ष पश्चात स्वप्रेरणा की कार्यवाही को अत्यधिक विलम्बित होना माना है। माना उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ ने रणवीरसिंह विरुद्ध म०प्र० राज्य (२०१० रा.नि. ४०९) में स्वमेव निगरानी की कार्यवाही जानकारी के दिनांक से १८० दिन के भीतर की जाना निर्धारित किया है। कलेक्टर ने अपने आदेश में स्वमेव निगरानी की कार्यवाही जानकारी के दिनांक से १८० के भीतर किस प्रकार है। इस संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। ऐसी दशा में स्वमेव निगरानी की कार्यवाही समयावधि बाह्य होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

६/ उपरोक्त विवेदन के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। कलेक्टर, जिला अशोकनगर का आदेश दिनांक २७-१२-१२ निररत किया जाता है। तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक ०८-०४-९३ यथावत रखा जाता है।



( राजस्व मण्डल, म०प्र० )

सदरस्य,  
राजस्व मण्डल, म०प्र०  
मुख्यमंत्री,